Cert-35

मूल्य 10/– रूपये

केस संख्या ....

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

जन्मतिथि में संशोधन हेतू आवेदन–पत्र।

फार्म भरने से पहले कृपया पीछे दिये गये निर्देश पढ़िये।

कोई भी फार्म बोर्ड में निर्धारित शुल्क की प्राप्ति के बिना स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

मिडल/मैट्रिक का प्रमाण–पत्र मूल रूप से इस फार्म के साथ सलंग्न होना चाहिए।

1 नाम .... 2. पुरूष/स्त्री ....

3 पिता का नाम ....

4. इस बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण की गई मिडल/मैट्रिक परीक्षा का अनुक्रमांक, वर्ष तथा सत्र — क) अनुक्रमांक .... ख) वर्ष तथा सत्र ....

5. संस्था का नाम जिसके माध्यम से मैट्रिक परीक्षा में प्रविष्ट हुआ/हुई। ....

6. विद्यालय का नाम जिसमें सर्वप्रथम प्रवेश लिया ....

7. कॉलम न. 06 में उल्लेखित विद्यालय में प्रवेश लेने की तिथि तथा वर्ष — क) तिथि .... ख) वर्ष ....

8. उन दूसरी संस्थाओं के नाम जिनमें मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने से पहले प्रवेश लिया :

	संस्था का नाम	प्रवेश लेने की तिथि तथा वर्ष	कक्षा जिसमें प्रवेश लिया	विद्यालय रिकार्ड के अनुसार जन्म तिथि
क)	....	....	....	....
ख)	....	....	....	....
ग)	....	....	....	....
घ)	....	....	....	....

9. प्रार्थी किस आधार पर जन्मतिथि में संशोधन करवाना चाहता है ....

10. बोर्ड कार्यालय के रिकार्ड अनुसार जन्मतिथि ....

11. जन्मतिथि जिसका प्रार्थी दावा करता है ....

12. बोर्ड रसीद न. .... तिथि .... राशि ....

कृपया शुल्क हेतू गत पृष्ठ में वर्णित निर्देश अवश्य देखें।

बोर्ड रसीद की अनुपस्थिति में मनीआर्डर की मूल रसीद या भारतीय पोस्टल ऑर्डर सलंग्न किए जाएं।

13. जन्मतिथि में गलती किसने तथा कैसे पकड़ी ....

14. गलती कब पकड़ी गई ....

15. जन्मतिथि में गलती के कारण का पूर्ण विवरण अवश्य लिखें ....

16. क्या आप किसी सेवा में नियुक्त हैं यदि हैं तो कार्यालय का पूरा पता लिखें ....

17. सबूत में दिए गए दस्तावेज — क) .... ख) .... ग) ....

18. दूरभाष न. ....

हस्ताक्षर

प्रार्थी का पूरा पता ....

दिनांक ....

....

विद्यालय में दाखिला तथा खारिज रजिस्ट्र अनुसार जन्मतिथि .... है।

हस्ताक्षर ....

मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिका/प्रधानाचार्य
मैट्रिक/सीनियर सैकेण्डरी सर्टीफिकेट विद्यालय
(मोहर लगाई जाए)

प्रथम श्रेणी
मजिस्ट्रेट
(मोहर लगाई जाए)

(यह आवेदन पत्र इस बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त उस संस्था के मुखिया द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें प्रार्थी ने सबसे अन्त में अध्ययन किया हो, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं की उन्हें आवेदन पत्र किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित करवाकर भेजना चाहिए।

जन्म तिथि में संशोधन से सम्बन्धित नियम

1. जन्मतिथि में परिवर्तन के लिए किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। जन्मतिथि में विद्यालय के स्तर पर कोई त्रुटि है तो उसमें संशोधन विद्यालय के रिकार्ड/प्रथम श्रेणी में प्रवेश के समय दर्शाई गई जन्म तिथि के आधार पर प्रमाण–पत्र जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक करवाया जा सकता है। यदि परीक्षार्थी ने आठवीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से पास की है तो उसी आधार पर मैट्रिक प्रमाण–पत्र में जन्मतिथि में संशोधन पांच वर्ष तक किया जाएगा।

   क) जन्मतिथि शुद्धि शुल्क — 500/– रूपये प्रति प्रमाण–पत्र

नोट : 1. जन्मतिथि में संशोधन का शुल्क किसी भी अवस्था में वापिस नहीं किया जाएगा।

2 उपरोक्त शुल्क केवल एक ही परीक्षा के प्रमाण–पत्र में जन्मतिथि में संशोधन करने के लिए है जो परीक्षार्थी मिडल तथा मैट्रिक दोनों प्रमाण–पत्रों में संशोधन के लिए आवेदन करेगा उसे दोनों परीक्षाओं के लिए अलग–अलग शुल्क देना होगा।

3 संशोधित प्रमाण–पत्र हेतू 400/– रूपये शुल्क प्रति प्रमाण–पत्र उक्त शुल्क के अतिरिक्त होगा।

4 जन्म तिथि में संशोधन की सुविधा केवल उसी स्थिति में ही दी जाएगी, जब सम्बन्धित रिकार्ड सम्बन्धित विद्यालय/परीक्षार्थी द्वारा कार्यालय में उपलब्ध करवाया जायेगा।

5 यदि कोई परीक्षार्थी किसी त्रुटि का उत्तर/हल न करवाने या सम्बन्धित विद्यालय का रिकार्ड प्रस्तुत करने में एक वर्ष तक असमर्थ होता है तो उस केस को फाईल कर दिया जायेगा। एक वर्ष बाद केस रि–ओपन करवाने पर शुल्क व आवेदन फार्म पुनः जमा करवाना होगा। (बोर्ड बैठक दिनांक 07/02/2004 अनुच्छेद संख्या 22)

जन्मतिथि में संशोधन

1 साधारणतया जन्म तिथि में संशोधन की अनुमति केवल उसी स्थिति में दी जायेगी यदि जन्म तिथि में विद्यालय के स्तर पर कोई गलती एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में उतारते समय लेखनी सम्बन्धी रही हो। इस अभिप्रायः के लिए कार्यालय, मान्यता प्राप्त विद्यालय जहां प्रार्थी ने सबसे पहले, प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया था, का उपलब्ध रिकार्ड और यदि वह उपलब्ध नहीं हो तो सर्वप्रथम विद्यालय रिकार्ड जो उपलब्ध हो, मंगवायेगा। इसके अतिरिक्त मैट्रिक, सीनियर सैकेण्डरी सर्टीफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण करने से पहले प्रार्थी द्वारा प्रवेश लिए गए सभी विद्यालयों का रिकार्ड भी मंगवाया जाएगा अर्थात् दाखिला तथा खारिज रजिस्टर, मूल विद्यालय त्याग पत्र और मूल प्रवेश पत्र जो प्रार्थी के प्रत्येक विद्यालय में प्रवेश के समय, उसके पिता/संरक्षक द्वारा भरे गए थे।

2 विद्यालय सम्बन्धी सभी दस्तावेज मूल रूप से प्रस्तुत किये जायेगें जो कि परीक्षार्थी/विद्यालय अपने दायित्व पर प्रस्तुत करवायेगा।

3 उन केसों जहां प्रार्थी/विद्यालय प्रधान जाली या गलत दस्तावेज प्रस्तुत करता है, ऐसे केसों को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।

4 यदि सचिव को संतुष्टि हो जाए कि किसी गलती/किसी कारणवश प्रार्थी की जन्मतिथि ठीक नहीं है तो वह जन्मतिथि में संशोधन की सिफारिश कारण बताते हुए कर सकते हैं।

5 यदि आवेदन पत्र रद्द हो जाता है तो प्रार्थी यदि चाहे, इस कार्यालय द्वारा निर्णय भेजे जाने की तिथि से लेकर 30 दिनों के अन्दर–अन्दर अपने केस पर पुनर्विचारार्थ लिखित रूप से नए तथ्यों सहित, प्रार्थना कर सकता है। यदि अध्यक्ष की संतुष्टि हो जाए कि नए तथ्य उसके नोटिस में पहले लाए जाते तो पहले लिये गए निर्णय के स्थान पर दूसरा निर्णय लिया जा सकता था, तो वह केस पर पुनर्विचार के लिए आदेश दे सकते हैं। केस के पुनर्विचार के पश्चात् लिया गया इस प्रकार का निर्णय, स्वीकृति हेतू बोर्ड को प्रेषित किया जायेगा।

6 सक्षम अधिकारी द्वारा जन्मतिथि की स्वीकृति दिये जाने के पश्चात सहायक सचिव (प्रमाण–पत्र) पुराने प्रमाण–पत्र के स्थान पर संशोधित जन्मतिथि के साथ नया प्रमाण–पत्र जारी करेंगे तथा पुराना प्रमाण–पत्र रद्द कर दिया जाएगा।